Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .. ACJM-1 Kishangarh Year ....

राज्य .... Versus प्रकाशचंद जैन व अन्य ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	23.09.25 अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त प्रकाश चंद प्रोडक्शन वारंट से असालतन अनुपस्थित, जरिये वी.सी उपस्थित किया गया। प्रोडक्शन वारंट पर आहत की आगामी पेशी वास्ते अवधि बढाई गई। साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन द्वारा जाहिर किया गया कि गवाह उपस्थित है। हालांकि इसी स्तर पर अधिवक्ता परिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र धारा 302 दंड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर पैरवी परिवादी को दिए जाने का प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र की नकल अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त अधिवक्ता को दिलाई गई, जिसका लिखित जवाव न देकर सीधे बहस करना जाहिर किया गया। बहस सुनी गई। आज उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सुसंगत विधि के अध्ययन वास्ते समयाभाव रहा है। न्यायालय के समक्ष कुल चार गवाह जयचंद अजमेरा, भवानी सिंह, भागचंद गुर्जर तथा शिव नारायण उपस्थित हैं, जिनके बयान न्यायालय के मत में इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के पश्चात किया जाना ही उचित होगा। गवाह शिव नारायण के संदर्भ में अभियुक्त की आपत्ति है कि उक्त गवाह तस्दीकशुदा नहीं है। अतः आगामी पेशी पर गवाह 311 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित पते को तस्दीक करने हेतु दस्तावेज अभियोजन के समक्ष प्रस्तुत रखे। उक्त सभी गवाहों को आगामी पेशी पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया जावे एवं पूर्व से आदेशित अन्य गवाह का परीक्षण उसके पश्चात की पेशी वास्ते नियत किया जाता है। स्पष्ट किया जाता है कि आगामी पेशी पर न्यायालय प्रथमतः तो प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करेगा एवं तत्पश्चात आदेशानुसार बयान लेखबद्ध कराए जावेंगे। पत्रावली वास्ते आदेश एवं साक्ष्य अभियोजन दिनांक 26.09.2025 को पेश हो। (signature) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, किशनगढ़ जिला अजमेर	जयचन्द अजमेरा (signature) (भवानी सिंह) शिवनारायण भागचंद गुर्जर